दिनाँक 18 जनवरी, 2016 को सभा कक्ष, शक्ति भवन, लखनऊ में सम्पन्न उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल की 121वीं बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः

1.	श्री संजय अग्रवाल	अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2.	श्री अयोध्या प्रसाद मिश्रा	प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0	प्रबन्ध निदेशक
3.	श्री नील रतन कुमार	विशेष सचिव(वित्त) उ0प्र0 शासन	निदेशक
4.	श्रीमती मंजू शंकर	उप निदेशक सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो	निदेशक
5.	श्री संजय कुमार सिंह	निदेशक(वाणिज्य) एवं निदेशक(वित्त) (अतिरिक्त कार्यभार) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0	निदेशक
6.	श्री कृष्ण मुरारी मित्तल	निदेशक(वितरण) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0	निदेशक
7.	श्री रामानन्द यादव	निदेशक(कारपोरेट प्लानिंग) एवं निदेशक(का0प्र0 एवं प्र0) (अतिरिक्त कार्यभार) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0	निदेशक
8.	श्री एच0के0 अग्रवाल	कार्यकारी कम्पनी सचिव उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0	संयोजक

1

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
121(01) श्री एस0के0 अग्रवाल, निदेशक(वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग में सदस्य पद पर हुई नियुक्ति को संज्ञान में लेने के सम्बन्ध में।	121(01) निदेशक मण्डल द्वारा संज्ञान में लिया गया कि उत्तर प्रदेश शासन, ऊर्जा (निजी निवेश) प्रकोष्ठ की अधिसूचना संख्या 699/24–ऊ0नि0नि0प्र0/ 15–04(प्रकोष्ठ)/15 दिनाँक 03 नवम्बर, 2015 द्वारा श्री सुरेश कुमार अग्रवाल, निदेशक(वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को उनके पद ग्रहण करने के दिनांक से उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है जिसके अनुपालन में त्यागपत्र देकर श्री अग्रवाल दिनाँक 09 दिसम्बर, 2015 के अपरान्ह में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यभार से अवमुक्त हो गये हैं तथा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 136–अ0प्र0(2अ)/पाकालि/2015 दिनाँक 09 दिसम्बर, 2015 द्वारा उ0प्र0 शासन के अनुमोदन की प्रत्याशा में श्री संजय कुमार सिंह, निदेशक(वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को उनके मूल कार्यभार के साथ–साथ निदेशक(वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 का कार्यभार अतिरिक्त रूप में अग्रेतर आदेशों तक सौंप दिया गया हैं। इसके अतिरिक्त श्री सुरेश कुमार अग्रवाल द्वारा धारित निगम का एक अंश श्री ए0के0 गुप्ता, मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को हस्तान्तरित करने का अनुमोदन भी प्रदान किया गया।

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
121(02) श्री राधे मोहन, निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की सेवानिवृत्ति को संज्ञान में लेने के सम्बन्ध में।	121(02) निदेशक मण्डल ने संज्ञान में लिया कि श्री राधे मोहन, निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 दिनाँक 18 नवम्बर, 2015 को अपना कार्यकाल पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो गये हैं तथा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 131–अ0प्र0(2अ)/पाकालि/2015 दिनाँक 20 नवम्बर, 2015 द्वारा श्री रामानन्द यादव, निदेशक(कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को उनके मूल कार्यभार के साथ–साथ निदेशक(का0प्रब0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 का कार्यभार अतिरिक्त रूप में अग्रेतर आदेशों तक सौंप दिया गया है जिसका कार्योत्तर अनुमोदन ऊर्जा अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2934/24–पी–2–15–10(नियुक्ति)/10 दिनाँक 10 दिसम्बर, 2015 द्वारा प्रदान कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त श्री राधे मोहन द्वारा धारित निगम का एक अंश श्री कृष्ण मुरारी मित्तल, निदेशक(वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को हस्तान्तरित करने का अनुमोदन भी प्रदान किया गया।
121(03) श्रीमती मंजू शंकर, उप निदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो का महिला निदेशक के रूप में निदेशक मण्डल में स्वागत करने के सम्बन्ध में।	121(03) निदेशक मण्डल ने प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 1334/44–1–2014–30/2001 दिनाँक 10 दिसम्बर, 2015 द्वारा निगम के संचालक मण्डल में सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रतिनिधि के रूप में नामित श्रीमती मंजू शंकर, उप निदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को दिनाँक 10 दिसम्बर, 2015 से निगम में महिला निदेशक के रूप में नामित करते हुए निदेशक मण्डल में स्वागत किया।
121(04) दिनाँक 23 नवम्बर, 2015 को सम्पन्न उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की 120वीं बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	121(04) निदेशक मण्डल ने प्रस्तुत कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया।
121(05) विभिन्न विद्युत उपक्रमों से क्रय की जा रही विद्युत के भुगतान हेतु आईसीआईसीआई बैंक से साख सीमा व ओवर ड्राफ्ट लिये जाने के सम्बन्ध में। कम्पनी सचिव ने बैठक में अवगत कराया कि यह प्रस्ताव दिनाँक 21 दिसम्बर, 2015 को परिचालन माध्यम से पारित किया जा चुका है अतः पारित प्रस्ताव का पुष्टिकरण अपेक्षित है।	121(05) निदेशक मण्डल ने प्रस्तुत स्थिति संज्ञान में ली एवं पारित प्रस्ताव का पुष्टिकरण करते हुए कार्यवृत्त को अधोउद्धरित करने का निर्णय लिया:– Board of Directors in relation to availing the Letter of Credit and Overdraft facilities of Rs.250 crores being extended by M/s ICICI Bank Ltd. passed the following resolutions: 1. Resolved that Letter of Credit and Overdraft facilities of Rs.250 crores (Rs. Two hundred and fifty crores only) being provided by ICICI Bank Limited may be utilized as required as per the detailed terms of the proposal contained therein. 2. Further resolved that Director (Finance) is authorized to take necessary decisions for acceptance of Letter of Credit and its setup on revolving basis with various banks for payment

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
–	of obligation from purchase of electricity from Central Electricity Undertakings, State Electricity Undertakings, Co-generators, IPP, Bilateral etc. 3. Further resolved that Chief General Manager (Finance) and Deputy Chief Accounts Officer (Finance) are severally authorized for signing letter of credit and cash credit/overdraft limit related proposals and agreements. 4. Further resolved that Chief General Manager (Finance) or Deputy Chief Accounts Officer (Finance) authorized are severally authorized for signing hypothecation agreement with various banks and Common Seal shall be affixed on such agreements as per existent rules as and if required.
121(06) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंकेक्षित वार्षिक लेखों, अंकेक्षण प्रतिवेदन/भारत के नियन्त्रक–महालेखा परीक्षक की टीका–टिप्पणियां तथा प्रबन्धन के उत्तरों के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	121(06) निदेशक मण्डल ने एजेण्डे के साथ प्रस्तुत दिनांक 28–12–2015 को सम्पन्न सम्प्रेक्षा समिति की बैठक के कार्यवृत्त को संज्ञान में लेते हुए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के वित्तीय वर्ष 2013–14 के प्रस्तुत वार्षिक लेखे, सांविधिक अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं महालेखाकार की टीका–टिप्पणी तथा इन पर प्रबन्धन की ओर से तैयार उत्तरों का अनुमोदन प्रदान किया। यह भी निर्देशित किया गया कि इन्हें अंशधारियों के सम्मुख प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जाये।
121(07) निगम के वित्तीय वर्ष 2013–14 पर अंशधारियों के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने वाली निदेशक रिपोर्ट का अनुमोदन प्रदान करने एवं उस पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	121(07) निदेशक मण्डल ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए अंशधारियों के सम्मुख प्रस्तुत की जाने वाली निदेशक रिपोर्ट (Directors' Report) को अनुमोदित किया एवं इस पर निदेशक मण्डल की ओर से हस्ताक्षर करने हेतु अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को अधिकृत किया।
121(08) निगम के वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंकेक्षित वार्षिक लेखों, अंकेक्षण प्रतिवेदन/महालेखाकार की टीका–टिप्पणी तथा प्रबन्धन के उत्तरों के अनुमोदन हेतु निगम की स्थगित पन्द्रहवीं वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित करने के सम्बन्ध में।	121(08) निदेशक मण्डल ने निगम के वित्तीय वर्ष 2013–14 के तैयार वार्षिक लेखे, सांविधिक अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं महालेखाकार की टीका–टिप्पणी तथा इन पर प्रबन्धन की ओर से तैयार उत्तरों पर निगम के अंशधारियों का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु निगम की स्थगित पन्द्रहवीं वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित करने का अनुमोदन प्रदान किया एवं बैठक आयोजित करने हेतु प्रस्ताव के साथ संलग्न नोटिस पर अनुमोदन प्रदान करते हुए उसे जारी करने हेतु कम्पनी सचिव को अधिकृत किया तथा बैठक की तिथि एवं समय निर्धारित करने हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया। यह भी निर्णय लिया गया कि यदि अंशधारियों की बैठक अल्प अवधि सूचना पर आहूत की जाती है तो उसमें कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्राविधानों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
121(09) श्री बी0पी0 कुरील, सेवानिवृत्त अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 को भारत के राजपत्र : असाधारण के I. संशोधित वेतनमान में समूह 'क', 'ख', 'ग', तथा 'घ' के सिविल कर्मचारियों/अखिल भारतीय सेवा के कार्मिकों की वेतन संरचना पर छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट में संस्तुत सिफारिशें तथा सरकार द्वारा उन पर लिये गये निर्णय के अन्तर्गत अपुनरीक्षित वेतनमान 24050–650–26000 को संशोधित वेतन संरचना के एच0ए0जी0 + स्केल (75500–80000) के सापेक्ष वेतन निर्धारण करते हुये दिनांक 01–01–2006 से पेंशन रू0 37750/– निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।	121(09) निदेशक मण्डल ने शासन स्तर पर गठित सचिव(वित्त) की समिति द्वारा प्रकरण पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में श्री बी0पी0 कुरील, सेवानिवृत्त अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 को सेवानिवृत्ति के पश्चात् पूर्व निर्धारित वेतनमान रू0 24050–650–26000 के सापेक्ष वेतन बैण्ड रू0 75500–80000 के 50 प्रतिशत अर्थात् रू0 37750/– पेंशन निर्धारित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया।
121(10) Authorization For E-Filing with Ministry of Corporate Affairs.	121(10) The Board of Director approved the following Resolution: "RESOLVED THAT in supersession of earlier resolutions passed in this behalf by the Board of Directors of the Company, any of Directors or Company Secretary of the Company be and are hereby severally authorised to sign and submit for and on behalf of the Company, various e-forms, returns, documents including annual filing of documents, with Ministry of Corporate Affairs or other government agencies through electronic mode (using Digital Signature Certificates) as may be required from time to time in the best interest of the Company."
121(11) शासनादेश संख्या वे0आ0–1–1036/दस–2014–36(एम)/08 दिनांक 15–10–2014 की अनुरूपता में वर्ष 2013–14 हेतु कारपोरेशन के कर्मचारियों को तदर्थ अनुग्रह धनराशि (बोनस) दिये जाने के सम्बन्ध में।	121(11) निदेशक मण्डल ने लेखा वर्ष 2013–2014 के लिये पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों को अनुग्रह धनरशि की अनुमन्यता एवं भुगतान किये जाने सम्बन्धी निर्गत आदेश सं0 3556–औसं0/2014–116/ए0एस0/96 दिनॉक 22–10–2014 तथा आदेश सं0 4384–औसं/15–116/ए0एस0/96 दिनॉक 5–11–2015 का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।
121(12) अपुनरीक्षित पेंशन अथवा अपुनरीक्षित वेतनमानों के आधार पर पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स को शासन की अनुरूपता में समय–समय पर बढ़ी दरों से मँहगाई राहत की स्वीकृति।	121(12) निदेशक मण्डल ने निम्न प्रस्ताव पारित किये :– (क) पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद/उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर, जिनकी पेंशन की धनराशि पुनरीक्षित नहीं हुई है, या सम्बन्धित कार्मिक ने पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारित नहीं कराया है और तदनुसार उन्हें अपुनरीक्षित वेतन के आधार पर अन्तिम अथवा अनन्तिम पेंशन मिल रही है, उन्हें शासन द्वारा दिनांक 01–07–2008, दिनांक 01–01–2009, दिनांक 01–07–2009, दिनांक 01–01–2010, दिनांक 01–07–2010, दिनांक

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
	01–01–2011, दिनांक 01–07–2011, दिनांक 01–01–2012, दिनांक 01–07–2012, दिनांक 01–01–2013, दिनांक 01–07–2013, दिनांक 01–01–2014 तथा दिनांक 01–07–2014 से निर्धारित दरों पर महँगाई राहत का भुगतान स्वीकृत किया जाता है। (ख) दिनांक 01–01–2015 तथा उससे आगे की अवधि के लिए शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों की अनुरूपता में बढ़ी दर से महँगाई राहत स्वीकृत करने हेतु अध्यक्ष को अधिकृत किया जाता है।
121(13) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं सहयोगी विद्युत वितरण निगमों के मध्य विद्युत क्रय अनुबन्ध किये जाने के सम्बन्ध में।	121(13) निदेशक मण्डल ने उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं सहयोगी विद्युत वितरण निगमों के मध्य विद्युत क्रय अनुबन्ध किये जाने हेतु प्रस्तुत Memorandum of understanding को हस्ताक्षरित करने का अनुमोदन प्रदान किया एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की ओर से इस Memorandum of understanding पर हस्ताक्षर करने हेतु निदेशक(वित्त) को अधिकृत किया।
121(14) चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने हेतु वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में।	121(14) निदेशक मण्डल ने चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने हेतु वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में निर्णय लिया कि वर्तमान में जो वित्तीय अधिकार प्रदत्त हैं उन्हें यथावत् रखते हुए शासन में इस सम्बन्ध में निगमों हेतु लागू शासनादेश के सापेक्ष उससे उ0प्र0 पावर सेक्टर की सभी कम्पनियों को वर्णित व्यवस्था से छूट प्रदान करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय।
121(15) उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा विभिन्न परियोजनाओं हेतु दाखिल ट्रूअप याचिकाओं एवं टैरिफ याचिकाओं के विरूद्ध प्रतिशपथपत्र तैयार करने हेतु परामर्शी नियुक्त करने के सम्बन्ध में।	121(15) निदेशक मण्डल ने उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा विभिन्न परियोजनाओं हेतु दाखिल ट्रूअप याचिकाओं एवं टैरिफ याचिकाओं के विरूद्ध प्रतिशपथपत्र तैयार करने हेतु परामर्शी नियुक्त करने के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिया:– "उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा नियामक आयोग के समक्ष दाखिल (क) परियोजनावार अवधि 2011–14 हेतु ट्रूअप याचिकाओं (ख) बहुवर्षीय टैरिफ अवधि 2014–19 हेतु प्राविजनल टैरिफ निर्धारण याचिकाओं (ग) इससे सम्बन्धित नियामक आयोग द्वारा निर्गत किये जाने वाले आदेशों के विरूद्ध पा0का0लि0 द्वारा दाखिल की जाने वाली पुनर्विचार याचिकाएं तथा उ0नि0लि0 द्वारा नियामक आयोग द्वारा निर्गत किये जाने वाले आदेशों के विरूद्ध दखिल किये जाने वाली पुनर्विचार याचिकाओं के विरूद्ध शपथपत्र हेतु पा0का0लि0 द्वारा प्रारम्भिक टिप्पणी तैयार करने तथा प्रतिशपथपत्र उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग के समक्ष दाखिल करने के कार्य हेतु मेसर्स मधु गुप्ता एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को सलाहकार नियुक्त करने हेतु अध्यक्ष उ0प्र0 पा0का0लि0 के अनुमोदनोपरान्त निर्गत आदेश संख्या 645/ CE/ PPA/ UPRVUNL/(Tariff) दिनांक 03–12–2015 का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
121(16) मेसर्स ललितपुर पावर जनरेशन कम्पनी लि0 (3x660 मे0वा0) द्वारा तापीय परियोजना की अनुमानित परियोजना (3x660 मे0वा0) लागत पर आपसी सहमति से ceiling capital cost तय किये जाने का कार्योत्तर अनुमोदन।	121(16) निदेशक मण्डल ने मेसर्स ललितपुर पावर जनरेशन कम्पनी लि0 (3x660 मे0वा0) द्वारा तापीय परियोजना की अनुमानित परियोजना (3x660 मे0वा0) लागत पर आपसी सहमति से ceiling capital cost तय किये जाने के सम्बन्ध में एजेण्डा में दिये गये विवरण के दृष्टिगत एजेण्डे के बिन्दु 13 में वर्णित त्रिसदस्यीय समिति की विषयगत प्रकरण पर प्रस्तुत आख्या एवं तदनुसार मा0 नियामक आयोग को दी गई सूचना का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।
121(17) निदेशक मण्डल की 116वीं बैठक के विषय सं0 116(13) पर निदेशक मण्डल के निर्णयानुसार नॉन–आरएपीडीआरपी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ऑन–लाईन बिलिंग लागू करने हेतु एजेंसी के चयन के सम्बन्ध में।	121(17) निदेशक मण्डल द्वारा नॉन–आर–एपीडीआरपी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ऑन–लाईन बिलिंग प्रणाली लागू करने हेतु दिनांक 09.12.2015 को सम्पन्न हुई केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति (Centre Stores Pruchase Committee) की बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन देते हुए M/s Infinite Computer Solutions (I) in consortium with M/s Flunentgrid (formally known as Phoenix IT Solution Limited) को प्रथम चरण के अन्तर्गत MVVNL एवं PuVVNL के ग्रामीण क्षेत्रों तथा नॉन–आर–एपीडीआरपी क्षेत्रों के लगभग 56 लाख उपभोक्ताओं (MVVNL 22 लाख एवं PuVVNL 34 लाख उपभोक्ताओं) को माइग्रेट कर एवं तदानुसार ठप.उवदजीसल बिलिंग के अनुरूप प्रतिमाह लगभग 28 लाख उपभोक्ताओं (MVVNL 11 लाख एवं PuVVNL 17 लाख उपभोक्ताओं) की ऑन–लाईन बिलिंग (जिसमें 15–20 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि अपेक्षित है) तथा लगभग 259 end location connectivity का अनुमोदन प्रदान किया गया।
121(18) उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 एवं उ0प्र0पा0का0लि0 के मध्य हरदुआगंज विस्तार–।। (1x660MW), ओबरा सी (2x660MW) ताप विद्युत गृहों हेतु हस्ताक्षरित ऊर्जा क्रय अनुबन्ध दिनांक 16.01.2013 में Rebate & Surcharge on late payment में संशोधन तथा पनकी विस्तार (1x660MW) के प्रस्तावित ऊर्जा क्रय अनुबन्ध में संशोधित Rebate & Surcharge on late payment क्लाज जोड़े जाने तथा अन्य बदलाव के सम्बन्ध में।	121(18) निदेशक मण्डल ने उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 एवं उ0प्र0पा0का0लि0 के मध्य हरदुआगंज विस्तार–।। (1x660 MW), ओबरा सी (2x660 MW) ताप विद्युत गृहों हेतु हस्ताक्षरित ऊर्जा क्रय अनुबन्ध दिनांक 16.01.2013 में Rebate & Surcharge on late payment में संशोधन तथा पनकी विस्तार (1x660 MW) के प्रस्तावित ऊर्जा क्रय अनुबन्ध में संशोधित Rebate & Surcharge on late payment क्लाज जोड़े जाने तथा अन्य बदलाव के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिये:– 1. एजेण्डे में प्रदत्त विवरण के दृष्टिगत हरदुआगंज विस्तार (1x660 मे0वा0) एवं ओबरा विस्तार (2x660 मे0वा0)

6

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
	परियोजनाओं हेतु पूर्व में सम्पादित ऊर्जा क्रय अनुबंध दिनांक 16–01–2013 (जो कि उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 एवं उ0पा0का0लि0 के मध्य हस्ताक्षरित हुए थे) तथा पनकी विस्तार परियोजना (1x660 मे0वा0), जिसका ऊर्जा क्रय अनुबंध निकट भविष्य में संभावित है, में रिबेट एवं भुगतान में विलम्ब पर अधिभार(Rebate & Surcharge on late payment) की धारा 12.3 एवं 12.4 पर प्रस्ताव के बिन्दु सं0 13ख में अंकित प्रस्तावित संशोधन, जो निम्नवत है, लागू करने का अनुमोदन प्रदान किया:–

क्र. सं.	धारा संख्या	विवरण	प्रस्तावित संशोधन
1.	12.3	The "Rebate & Surcharge on late payment" clause 12.1 & 12.2 will not be applicable for initial 05 years from the effective date of PPA	The "Rebate & Surcharge on late payment" as per clause 12.1 & 12.2 will not be applicable for a period of 05 years with effect from date of commercial operation (COD) of plant.
2.	12.4	The "Rebate & Surcharge on late payment" clause 12.1 & 12.2 will be modified for next balance period "20 years" of the PPA after review and decided as mutually agreed by UPRVUNL & UPPCL.	The "Rebate & Surcharge on late payment" as per clause 12.1 & 12.2 will be modified for next balance period of the PPA after review and decided and mutually agreed by UPRVUNL & UPPCL.

2. पनकी विस्तार परियोजना (1x660 मे0वा0) के प्रस्तावित ऊर्जा क्रय अनुबंध, जो कि हरदुआगंज विस्तार (1x660 मे0वा0) एवं ओबरा विस्तार (2x660 मे0वा0) परियोजनाओं के ऊर्जा क्रय अनुबंधों के समतुल्य है, में प्रस्ताव में वर्णित बिन्दु सं0 11ख, जो निम्नवत है, पर अंकित ईंधन की परिभाषा एवं यू0आई0 चार्जेज में संशोधन किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया:–

- **प्राइमरी फ्यूल की परिभाषा में प्रस्तावित पी0पी0ए0 में संशोधन coal Indian/Imported or both, पर रेग्यूलेशन 2014 के क्लाज 26(iv) के प्रतिबन्धाधीन उ0प्र0पा0का0लि0 द्वारा स्वीकार किया जाना सही है**
- **यू0आई0 चार्जेज के प्रस्तावित पी0पी0ए0 में संशोधन उ0प्र0पा0का0लि0 द्वारा स्वीकार किया जाना सही है।**

3. उपरोक्त संशोधनों के सम्बन्ध में उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग को सूचित कर दिया जाय।

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
121(19) "दि को–आपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाईटी लि0" (सेस) के कार्मिकों के संविलिनीकरण, जी0पी0एफ0 सुविधा बहाल करने एवं पेंशन की सुविधा प्रदान किये जाने के प्रकरण में गठित समिति की एक सदस्या श्रीमती नीरजा कृष्णा के स्थान पर श्रीमती मंजू शंकर, उप निदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ को नामित किये जाने के सम्बन्ध में।	121(19) निदेशक मण्डल ने "दि को–आपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाईटी लि0" (सेस) के कार्मिकों के संविलिनीकरण, जी0पी0एफ0 सुविधा बहाल करने एवं पेंशन की सुविधा प्रदान किये जाने के प्रकरण में गठित समिति की एक सदस्या श्रीमती नीरजा कृष्णा के स्थान पर श्रीमती मंजू शंकर, उप निदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ को नामित किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या 2583–अरा0–09ब/पाकालि/15–3(7)अरा0–09ब/04 दिनाँक 30–12–2015 पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।
121(20) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन मुख्यालय संवर्ग के समूह "ग" के कार्मिकों की सेवा विनियमावली प्रख्यापित किये जाने के सम्बन्ध में।	121(20) निदेशक मण्डल ने उ0प्र0 पावर कारपोरेशन मुख्यालय संवर्ग के समूह "ग" के कार्मिकों की सेवा विनियमावली प्रख्यापित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये कि शासन में इस सम्बन्ध में लागू विनियमावली के परीक्षणोपरान्त उसकी समरूपता में नियमावली तैयार कर पुनः प्रस्तुत की जाय।
121(21) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के लिये समूह "ग" के विभिन्न पदों हेतु निर्धारित कम्प्यूटर प्रमाण–पत्र की अनिवार्यता के स्थान पर कम्प्यूटर ज्ञान की लिखित परीक्षा का प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में।	121(21) निदेशक मण्डल ने उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के लिये समूह "ग" के विभिन्न पदों हेतु यथा सहायक लेखाकार, कार्यालय सहायक–तृतीय (लेखा), आशुलिपिक श्रेणी–3, कार्यालय सहायक–तृतीय (लेखा संवर्ग को छोड़कर अन्य) एवं तकनीशियन (ग्रेड–2) के पदों हेतु निर्धारित कम्प्यूटर प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए कम्प्यूटर ज्ञान की लिखित परीक्षा का प्राविधान, जो निम्नवत है, को किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया:– 1. प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में DOECC के "CCC"/"O" स्तर का कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित एक प्रश्न–पत्र होगा जिसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा अर्थात् यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की कटौती की जायेगी। 2. प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुये उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। 3. कम्प्यूटर ज्ञान के प्रश्न–पत्र में अर्जित अंक श्रेष्ठता (मेरिट) निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जायेंगे।
121(22) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कार्मिकों की "सेवानिवृत्ति विनियमावली" प्रख्यापित किये जाने के सम्बन्ध में।	121(22) निदेशक मण्डल ने उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में विनिर्मित नवीन विनियमावली "उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड (कार्मिकों की सेवानिवृत्ति) विनियमावली–2015" का अनुमोदन प्रदान करते हुए निर्देशित किया कि इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय जिससे सभी कार्मिक इससे अवगत हो सकें।
121(23) अभियन्ता संवर्ग में सहायक अभियन्ताओं को दिनांक 14–02–2007 से अनुमन्य कराया गया	121(23) निदेशक मण्डल ने अभियन्ता संवर्ग में सहायक अभियन्ताओं को दिनांक 14–02–2007 से अनुमन्य कराया गया अधीक्षण

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
अधीक्षण अभियन्ता पद का वेतनमान रू0 16400–20000 प्रकल्पित रूप से दिनांक 01–01–1996 से अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।	अभियन्ता पद का वेतनमान रू0 16400–20000 प्रकल्पित रूप से दिनांक 01–01–1996 से अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया कि चूँकि यह प्रकरण पूर्व से ही शासन स्तर पर सचिव (वित्त) की अध्यक्षता में गठित समिति को सन्दर्भित है, अतः निदेशक मण्डल में संबंधित समिति से प्रकरण पर शीघ्र निर्णय कराने हेतु प्रयास किये जाने हेतु निर्देशित किया।
121(24) शक्ति भवन (मुख्यालय)/विद्युत अनुरक्षण इकाई के नियंत्रणाधीन कार्यरत सुरक्षा प्रहरियों तथा विद्युत एवं यॉत्रिक इकाई के अधीन कार्यरत अग्निशमन रक्षकों को पौष्टिक आहार भत्ता अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।	121(24) निदेशक मण्डल ने शक्ति भवन (मुख्यालय)/विद्युत अनुरक्षण इकाई के नियंत्रणाधीन कार्यरत सुरक्षा प्रहरियों तथा विद्युत एवं यॉत्रिक इकाई के अधीन कार्यरत अग्निशमन रक्षकों को वर्तमान में अनुमन्य रू0 300/– के स्थान पर रू0 600/– प्रतिमाह की दर से पौष्टिक आहार भत्ता आदेश जारी होने की तिथि से अनुमन्य किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया।
121(25) विद्युतीय अधिष्ठापन से बाहरी व्यक्तियों एवं पशुओं आदि की घातक/अघातक विद्युत दुर्घटना में अनुमन्य अनुग्रह धनराशि को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	121(25) निदेशक मण्डल ने विद्युतीय अधिष्ठापन से बाहरी व्यक्तियों एवं पशुओं आदि की घातक/अघातक विद्युत दुर्घटना में अनुमन्य क्षतिपूर्ति अनुग्रह राशि को निम्नवत निर्धारित करने का अनुमोदन प्रदान किया:– 1. घातक मानवीय विद्युत दुर्घटना में रू0 1,00,000/– के स्थान पर रू0 2,00,000/– प्रति व्यक्ति। 2. पूर्ण अपंगता की स्थिति में रू0 1,00,000/– के स्थान पर रू0 2,00,000/– तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में अधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रमाणित अपंगता प्रतिशत के आधार पर रू0 2,00,000/– का अनुपातिक धनराशि प्रतिशत आर्थिक सहायता अनुग्रह राशि के रूप में। 3. पशुओं की घातक विद्युत दुर्घटना के सम्बन्ध में "राज्य आपदा मोचन निधि" (उत्तर प्रदेश) के अनुसार निम्न धनराशि सहायता हेतु अनुमन्य किया गया:– दुधारू पशु 1. भैंस/गाय/ऊँट/याक आदि रू0 16,400/– की दर से। 2. भेड़/बकरी रू0 1,650/– की दर से। दुधारू पशुओं के अतिरिक्त पशु 1. ऊँट/घोड़ा/बैल आदि रू0 15,000/– की दर से। 2. बछड़ा/गधा/खच्चर रू0 10,000/– की दर से। यह सहायता आर्थिक रूप से उपयोगी पशुओं तक ही सीमित होगी। सहायता की परिसीमा 1 बड़े दुधारू पशु या 4 छोटे दुधारू पशु अथवा एक बड़े कृषि या दो छोटे कृषि पशु प्रति घरेलू इकाई की दर से देय होगी (वास्तविक क्षति राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिये)।
121(26) मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित निर्णय दिनाँक 29–10–2015 के अनुपालन मे श्री परमात्मा प्रसाद पाण्डेय (से0नि0), सहायक लेखाधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील दिनाँक 19–10–2009 का निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में।	121(26) श्री परमात्मा प्रसाद पाण्डेय तत्कालीन लेखाकार को कारपोरेशन आदेश दिनाँक 11–08–2009 द्वारा प्रदत्त लघु दण्ड, यथा 'निन्दा प्रविष्टि' एवं 'असंचयी प्रभाव से दो वेतनवृद्धियों के रोके जाने' के विरूद्ध उनसे प्राप्त अपील नये तथ्यों/साक्ष्यों के अभाव में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पायी गयी। तथापि यह संज्ञानित होने पर कि श्री पाण्डेय की

CHAIRMAN'S INITIAL

9

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
	सेवानिवृत्ति के कारण इस लघु दण्ड के प्रभाव से उनकी पेंशन में कटौती की जा रही है, पर सम्यक विचारोपरान्त कारपोरशन के 'निदेशक मण्डल' द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त आदेश दिनांक 11.08.2009 के प्रतिफलस्वरूप श्री पाण्डेय के देय वेतन/पेंशन से दिनाँक 31-12-2015 तक की गयी कटौती को यथावत् रखते हुए, उन्हें दिनाँक 01-01-2016 से दी जाने वाली पेंशन का निर्धारण, उक्त दण्ड के प्रभाव को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि से शून्य मानते हुए किया जाये।
121(27) इच्छा प्रपत्र के तहत आर0पी0ओ0 पूर्ण करने हेतु प्रकाशित कराये गये विज्ञापन के अन्तर्गत मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स लि0 द्वारा अपने बलरामपुर चीनी मिल इकाई एवं मनकापुर चीनी मिल इकाई में पूर्व से स्थापित बगास आधारित कोजेन-प्लान्ट के अलावा वर्तमान में Spent Wash+Bagasse आधारित प्लान्ट स्थापित कर सरप्लस ऊर्जा पावर कारपोरेशन को विक्रय करने हेतु निष्पादित किये जाने वाले ऊर्जा क्रय अनुबन्ध के सम्बन्ध में।	121(27) निदेशक मण्डल ने इच्छा प्रपत्र के तहत आर0पी0ओ0 पूर्ण करने हेतु प्रकाशित कराये गये विज्ञापन के अन्तर्गत मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स लि0 द्वारा अपने बलरामपुर चीनी मिल इकाई एवं मनकापुर चीनी मिल इकाई में पूर्व से स्थापित बगास आधारित कोजेन-प्लान्ट के अलावा वर्तमान में Spent Wash+Bagasse आधारित प्लान्ट स्थापित कर सरप्लस ऊर्जा पावर कारपोरेशन को विक्रय करने हेतु निष्पादित किये जाने वाले ऊर्जा क्रय अनुबन्ध के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिये:- 1. Spent wash + Bagasse आधारित संयंत्र से विद्युत क्रय हेतु उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित किये जाने वाले टैरिफ अथवा रू0 4.95 प्रति यूनिट (जो भी कम हो) लागू होगा। 2. आयोग द्वारा निर्गत रेगुलेशन/माडल पीपीए में प्राविधानित अन्य शर्तों का अनुपालन किया जायेगा। 3. परियोजना के लिये आवश्यक बगास ईंधन की उपलब्धता व सम्पूर्ण ईंधन की व्यवस्था की जिम्मेदारी स्वयं फर्म की होगी। 4. Late Payment Surcharge 90 दिवसों के उपरान्त प्रभावी होगा। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मै0 बलरामपुर चीनी मिल्स लि0 के अन्तर्गत बलरामपुर एवं मनकापुर स्थित इकाई से Spent wash + Bagasse आधारित संयंत्र से क्रमशः 5 मे0वा0 एवं 5 मे0वा0 सरप्लस ऊर्जा क्रय करने हेतु ऊर्जा क्रय अनुबन्ध निष्पादित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया।
121(28) निगम के कार्यालय ज्ञाप सं0 500-पें0एवं आर0-28/पाकालि/15, दिनांक 14.05.2015 के फलस्वरूप कतिपय पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को पूर्व में अधिकृत की गई न्यूनतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन की राशि में हुई कमी का प्रतिकार किया जाना।	121(28) निदेशक मण्डल ने कार्यालय ज्ञाप सं0 500-पें0एवं आर0-28/पाकालि/15, दिनांक 14.05.2015 के फलस्वरूप कतिपय पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को पूर्व में अधिकृत की गई न्यूनतम् पेंशन/पारिवारिक पेंशन की राशि में हुई कमी का प्रतिकार किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया कि प्रकरण में शासन की अनुरूपता में कार्यवाही सम्पादित की जाय।
121(29) मेसर्स अलकनन्दा हाइड्रो पावर कम्पनी लि0 द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को आपूर्तित	121(29) निदेशक मण्डल ने मेसर्स अलकनन्दा हाइड्रो पावर कम्पनी लि0 द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को आपूर्तित ऊर्जा में

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
ऊर्जा में सम्मिलित Infirm Power के ऑगणन के सम्बन्ध में।	सम्मिलित Infirm Power के ऑगणन से संबंधित प्रकरण में निर्णय लिया कि एजेण्डे में प्रस्तुत दोनों variants को इस टिप्पणी के साथ विवाद सुलझाने हेतु माननीय नियामक आयोग को सन्दर्भित कर दिया जाये कि कमूल अभिमत रू0 3,21,54,943/– की संगणना के समर्थन में है वहीं मेसर्स अलकनन्दा हाइड्रो पावर ने अपनी सहमति रू0 12,99,30,851/– की संगणना के प्रति दी है।
121(30) Application under regulation 156 read with regulation 32 & 33 of UPERC (conduct of Business) Regulation, 2004 for approval of additional term loans and revised means of finance in respect of 330 MW Srinagar HEPP and approval of provisional tariff for power to be generated at Srinagar Hydro Electric Project (4 x 82.5 MW) under the Power Purchase Agreement dated 28.06.2006.	121(30) निदेशक मण्डल ने प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में निर्णय लिया कि पूर्व में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा शपथपत्र दिनांक 29–06–2015 के माध्यम से परियोजना की पूंजीगत लागत रू0 4218 करोड़ पर स्थिर रहने का निर्णय लिया गया। साथ ही एजेण्डे में प्रस्तुत टैरिफ मॉडल के ऑपशन 2 एवं 3 का अनुमोदन प्रदान करते हुए निर्देशित किया कि प्रस्ताव शासन स्तर पर गठित इनर्जी टास्क फोर्स को प्रस्तुत किया जाय और उसके अनुमोदनोपरान्त उ0प्र0पा0का0लि0 द्वारा शपथ–पत्र के माध्यम से मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग से चयनित टैरिफ मॉडल के अनुसार, टैरिफ निर्धारण हेतु अनुरोध कर लिया जाय एवं यह भी इंगित कर दिया जाये कि पी0पी0ए0 की सम्पूर्ण अवधि के लिये चयनित मॉडल के पैरामीटर्स, ऊपरी सीलिंग के रूप में स्थित रहेंगे एवं टैरिफ निर्धारण हेतु परियोजना लागत, मा0 आयोग के प्रूडेन्स चेक के अनुसार होगी। निदेशक मण्डल द्वारा यह भी निर्णय लिया कि NTPC/NHPC/TSDC/REC/PFC में से किसी एक एजेंसी अथवा किसी अन्य ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी सरकारी संस्था के माध्यम से श्रीनगर परियोजना पर सी0ओ0डी0 तक हुए व्ययों का प्रूडेन्स चेक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा भी कराया जाय एवं तदोपरान्त उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा स्वीकार की गई परियोजना लागत, उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग को सूचित कर दी जाए।
121(31) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 मुख्यालय में तैनात कम्प्यूटर सहायकों एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को मोबाइल सिमकार्ड की सुविधा अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।	121(31) निदेशक मण्डल ने प्रस्तुत प्रस्तावानुसार उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 मुख्यालय में तैनात कम्प्यूटर सहायकों एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को मोबाइल सिमकार्ड की सुविधा अनुमन्य कराये जाने का अनुमोदन प्रदान किया।
121(32) मे0 के0एस0के0 महानदी पावर कम्पनी लि0 द्वारा वर्तमान में ऊर्जा स्रोत मे0 के0एस0के0 महानदी पावर कम्पनी लि0 द्वारा आपूर्ति की जा रही 300 मे0वा0 ऊर्जा के परिप्रेक्ष्य में कतिपय कारण हेतु पी0पी0ए0 के प्राविधानों को उद्धृत करते हुए 120 मे0वा0 की विद्युत सप्लाई को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत मे0 साई वर्धा पावर लि0 द्वारा आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।	121(32) निदेशक मण्डल ने मे0 के0एस0के0 महानदी पावर कम्पनी लि0 को उनकी सहायक कम्पनी मे0 साई वर्धा पावर कम्पनी लि0 के माध्यम से अधिकतम 120 मे0वा0 की ऊर्जा आपूर्ति किये जाने के प्रस्ताव को पी0पी0ए0 के आर्टिकल 4.6 Alternative Source of Power Supply के अन्तर्गत प्राविधानों के अतिरिक्त निम्न वर्णित प्राविधानों की शर्त के साथ समावेशित करते हुए, ऊर्जा आपूर्ति किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया:– क) मे0 के0एस0के0 द्वारा पूर्व स्वीकृत 180 मे0वा0 एवं

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
	120 मे0वा0 के एम0टी0ओ0ए0 को Relinquish नहीं किया जाएगा। ख) मे0 के0एस0के0 द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत से भी ऊर्जा उपलब्ध कराने की व्यवस्था में, यदि दोनों उपलब्ध ऊर्जा स्रोतो से पी0पी0ए0 के Normative Availability के मापदण्ड के सापेक्ष उपलब्धता कम होती है, तो ऐसी परिस्थिति में पी0पी0ए0 में वर्णित पैनाल्टी के स्थान पर दुगनी पैनाल्टी ली जाएगी। ग) मे0 के0एस0के0 द्वारा दिये गये वैकल्पिक स्रोत के प्रस्ताव के अन्तर्गत वर्तमान 120 मे0वा0 के मीडियम टर्म ओपन एक्सेस की वैधता तिथि 29-10-2016 तक प्रस्तावित वैकल्पिक स्रोत से आपूर्ति की व्यवस्था में Normative Availability से अधिक आपूर्ति की स्थिति में कोई इन्सेन्टिव देय नहीं होगा। घ वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा उपलब्ध कराने में होने वाले अतिरिक्त व्यय जैसे कि पारेषण चार्जेस एवं अन्य इन्सीडेन्टल चार्जेस का वहन मे0 के0एस0के0 द्वारा किया जाएगा जैसा कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत से आपूर्ति हेतु आर्टिकल 4.6 में भी प्राविधित है।
121(33) श्री प्रेम चन्द्र, समीक्षा अधिकारी द्वारा अपने आश्रित पुत्र देवेन्द्र प्रताप सिंह की चिकित्सा जी0जी0 मेडिकल इन्स्टीट्यूट एवं रिसर्च सेन्टर, आगरा में भर्ती कर आकस्मिक दुर्घटना पर इलाज में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृत किये जाने अथवा अन्यथा के सम्बन्ध में।	121(33) निदेशक मण्डल ने श्री प्रेम चन्द्र, समीक्षा अधिकारी द्वारा उनके पुत्र देवेन्द्र प्रताप सिंह की दुर्घटना के पश्चात् आकस्मिकता की स्थिति में जी0जी0 मेडिकल इन्स्टीट्यूट एवं रिसर्च सेण्टर, आगरा में दिनांक 26-08-2014 से 20-10-2014 तक अन्तः रोगी के रूप में चिकित्सा/आपरेशन कराये जाने पर हुए व्यय में से नियमानुसार अनुमन्य रू0 7,57,223/- (रूपये सात लाख सत्तावन हजार दो सौ तेईस) मात्र मानवीय आधार पर विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत विचार करते हुए कारपोरेशन के आदेश सं0 195-औसं/2014-11(4)एफ/86 (टी0सी0-2010) दिनांक 25-01-2014 के प्रस्तर-01 में निहित प्राविधानों को शिथिल करते हुए तथा इसे भविष्य के प्रकरणों में दृष्टान्त न बनाये जाने के प्रतिबन्धाधीन प्रतिपूर्ति करने का अनुमोदन प्रदान किया।
121(34) चयनित अवर अभियन्ताओं के आवश्यक प्रपत्रों की जॉच आदि के सम्बन्ध में।	121(34) निदेशक मण्डल ने विद्युत सेवा आयोग द्वारा चयनित कुल 728 अवर अभियन्ता(विद्युत एवं यांत्रिक) एवं कुल 66 अवर अभियन्ता(जानपद) अभ्यर्थियों से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्यवाही मुख्य अभियन्ता(जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा अपने स्तर पर करने का अनुमोदन प्रदान किया:- 1. आवेदन पत्र पर लगी फोटो, हस्ताक्षर, अँगूठा निशान का प्रवेश पत्र पर लगी फोटो, हस्ताक्षर, अँगूठा निशान से मिलान करना। 2. संगत सेवा विनियम में निहित प्राविधानों का अनुपालन तथा अभ्यर्थियों के अभिलेखों की मूल प्रमाण पत्रों से जाँच करना। 3. उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त मुख्य

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
	अभियन्ता(जल विद्युत) स्तर से प्रस्तुत एजेण्डा के बिन्दु संख्या 5.0 में निर्धारित शपथ पत्र सम्बन्धित अभ्यर्थियों से प्राप्त करते हुए उनके नियुक्ति/आवंटन आदेश निर्गत किया जाना। यह भी निर्देश दिये गये कि उपरोक्त कार्यवाही के उपरान्त अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षिक एवं तकनीकी ज्ञान से सम्बन्धित उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों की सम्बन्धित संस्था से प्रामाणिकता की जाँच नियुक्ति अधिकारी द्वारा अपने स्तर से दिनाँक 30–06–2016 तक पूर्ण करा ली जाय।
121(35) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा लेखाधिकारी के सीधी भर्ती कोटे के रिक्त पदों पर चयन हेतु विद्युत सेवा आयोग को प्रेषित अधियाचन का कार्योत्तर अनुमोदन के सम्बन्ध में।	121(35) निदेशक मण्डल ने उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा लेखाधिकारी के सीधी भर्ती कोटे के रिक्त पदों पर चयन हेतु कारपोरेशन के पत्र संख्या 1243–अरा0(09अ)/पाकालि/2015–27–एनजी 1995 दिनांक 16–10–2015 द्वारा विद्युत सेवा आयोग को प्रेषित अधियाचन का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।
121(36) भारत सरकार की वित्तीय पुनर्गठन योजना "उदय" को लागू किये जाने हेतु सलाहकार नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	121(36) निदेशक मण्डल ने भारत सरकार की वित्तीय पुनर्गठन योजना "उदय" को उत्तर प्रदेश की विद्युत वितरण कम्पनियों में लागू करने हेतु मै0 परसेप्ट 360° कन्सल्टिंग लि0, लखनऊ एवं मै0 मर्कडोज एनर्जी मार्कट्स इण्डिया प्रा0 लि0 को संयुक्त रूप से रू0 15,00,000/– (रूपये पन्द्रह लाख) (कर अतिरिक्त) पर उदय योजना के अन्तर्गत पांचो विद्युत वितरण कम्पनियों के अगले पांच बर्षो के वित्तीय एवं तकनीकी अनुमानों को तैयार करने, त्रिपक्षीय अनुबन्ध हस्ताक्षर किये जाने तथा डिस्काम्स द्वारा योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत बाण्ड जारी किये जाने की पूर्ण कार्यवाही करने हेतु संविदा पर वित्तीय सलाहकार नियुक्त करने का अनुमोदन प्रदान किया। मै0 परसेप्ट 360° कन्सल्टिंग लि0 को निम्न शर्तो पर भुगतान करने का अनुमोदन प्रदान किया गयाः– 1. 10 प्रतिशत अग्रिम भुगतान। 2. 40 प्रतिशत वित्तीय पुनर्गठन कार्य योजना तैयार करने के उपरान्त। 3. 50 प्रतिशत त्रिपक्षीय अनुबन्ध हस्ताक्षर किये जाने तथा डिस्काम द्वारा बाण्ड जारी किये जाने तक की पूर्ण कार्यवाही हो जाने के उपरान्त। 4. उपरोक्त कार्य पूर्ण होने के उपरान्त लखनऊ में रू0 30,000/– तथा लखनऊ के बाहर रू0 50,000/– प्रति मैनडेज की दर से भुगतान (समस्त व्यय सहित कर अतिरिक्त)।
121(37) प्रदेश की विद्युत वितरण कम्पनियों के लिये भारत सरकार द्वारा घोषित नयी वित्तीय पुनर्गठन योजना "उदय–उज्जवल डिस्काम एश्योरेन्स योजना" को लागू करने के सम्बन्ध में।	121(37) निदेशक मण्डल ने प्रदेश की विद्युत वितरण कम्पनियों के लिये भारत सरकार द्वारा घोषित नयी वित्तीय पुनर्गठन योजना "उदय–उज्जवल डिस्काम एश्योरेन्स योजना" को लागू करने के सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव पारित किये:– 1. संकल्पित किया गया कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित

13

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
-	"उदय" योजना को उत्तर प्रदेश में लागू करने के उत्तर प्रदेश शासन के निर्णय के अनुरुप कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। 2. पुनः संकल्पित किया गया कि दिनाँक 30.09.2015 को बकाया ऋणों के 50 प्रतिशत के सापेक्ष वितरण निगमों की ओर से बन्धपत्र जारी किये जायें। इन 50 प्रतिशत ऋणों के 50 प्रतिशत की राशि के बन्धपत्र, जो राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में अधिग्रहीत किये जाने हैं, को पृथक रूप से निर्गत किया जाय तथा अवशेष ऋणों की धनराशि के बन्धपत्रों को अलग से निर्गत किया जाय। 3. पुनः संकल्पित किया गया कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हानियों की सीमा तक की फन्डिंग के लिये बन्धपत्र जारी करने हेतु शासन से अनुमोदन प्राप्त करते हुये तदनुसार आवश्यक कार्यवाही पृथक रूप से सुनिश्चित की जाय। 4. पुनः संकल्पित किया गया कि बन्धपत्रों के लिये आवश्यक शासकीय गारण्टी हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा जाय। 5. पुनः संकल्पित किया गया कि त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हेतु श्री ए0पी0 मिश्रा, प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया जाता है। 6. पुनः संकल्पित किया गया कि उपरोक्त योजना के अन्तर्गत वार्षिक निर्धारित लक्ष्यों की ससमय पूर्ति की मासिक समीक्षा/अनुश्रवण हेतु विस्तृत कार्यादेश उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा जारी किये जायेंगे जिन्हें सभी सहायक कम्पनियों द्वारा अंगीकृत करते हुए तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।
121(38) विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित 12 एकड़ विभागीय भूमि में से 5100 वर्ग मी0 भूमि उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में।	121(38) निदेशक मण्डल ने विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित 12 एकड़ विभागीय भूमि में से 5100 वर्ग मी0 भूमि उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को हस्तान्तरित करने का अनुमोदन प्रदान किया जिसका वर्तमान में डी0एम0 सर्किल रेट रू0 77000.00 प्रति वर्ग मी0 है। इस भूमि के हस्तान्तरण मूल्य का समायोजन उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 को देय लम्बित भुगतानों से किया जायेगा।
121(39) पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के दिनांक 14 जनवरी, 2000 को विद्यमान पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों एवं उक्त तिथि को कार्यरत ऐसे कार्मिकों जिन्हें पेंशन सुविधा अनुमन्य है तथा जो विभिन्न उत्तराधिकारी कम्पनियों से दिनांक 14 जनवरी, 2000 के उपरान्त सेवानिवृत्त हुये अथवा होंगे, की पेंशन/पारिवारिक पेंशन, उपादान एवं पेंशन राशिकरण का कोषागारों के माध्यम से भुगतान के सम्बन्ध में।	121(39) निदेशक मण्डल ने पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के दिनांक 14 जनवरी, 2000 को विद्यमान पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों एवं उक्त तिथि को कार्यरत ऐसे कार्मिकों जिन्हें पेंशन सुविधा अनुमन्य है तथा जो विभिन्न उत्तराधिकारी कम्पनियों से दिनांक 14 जनवरी, 2000 के उपरान्त सेवानिवृत्त हुये अथवा होंगे, की पेंशन/पारिवारिक पेंशन, उपादान एवं पेंशन राशिकरण का कोषागारों के माध्यम से भुगतान के सम्बन्ध में जारी शासनादेश सं0 1/2016/41/24–पी–2–16 सा0(84)/2014 दिनांक 13–01–2016 को संज्ञान में लिया। इस सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये गये:– 1. इस योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण निदेशक(कार्मिक

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
	प्रबन्धन एवं प्रशासन) के अधीन होगा। 2. इस व्यवस्था को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 मुख्यालय पर Secretary, U.P. Power Sector Employees Trust नोडल अधिकारी होंगे और इसी प्रकार प्रदेश के समस्त कोषागार कार्यालयों एवं पावर सेक्टर की विभिन्न पेंशन वितरण इकाईयों में सामन्जस्य बनाने एवं प्रपत्रों के हस्तान्तरण हेतु निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा नोडल अधिकारी नामित किये जायेंगे। 3. निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशासन) द्वारा इस सम्बन्ध में सभी निगमों के स्तर पर जो भी कार्यवाहियाँ सुनिश्चित की जानी हैं, वह निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण कराने हेतु दिशानिर्देश जारी किये जायेंगे। 4. प्रत्येक स्तर से प्रकरण पर युद्धस्तरं पर कार्य करते हुए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कोषागारों से परिषद एवं सम्प्रति पावर सेक्टर के सभी पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01-03-2016 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान कोषागारों के माध्यम से किया जा सके।
121(40) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं पेंशनधारकों से माह जनवरी, 2016 से उनके मासिक वेतन/पेंशन से उनके विद्युत संयोजन पर देय विद्युत शुल्क के सापेक्ष प्रतिमाह अन्तरिम रूप से कटौती के सम्बन्ध में।	121(40) निदेशक मण्डल ने उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं पेंशनधारकों से माह जनवरी, 2016 से उनके मासिक वेतन/पेंशन से उनके विद्युत संयोजन पर देय विद्युत शुल्क के सापेक्ष प्रतिमाह अन्तरिम रूप से कटौती के सम्बन्ध में निर्णय लिया कि चूँकि इस विषय पर आयोग के समक्ष पूर्व ही याचिका/पुनर्विचार याचिका योजित हो चुकी है, जिस पर सुनवाई होनी शेष है एवं अभी इन अधिकारियों/कर्मचारियों/पेंशनधारकों के संयोजनों पर मीटर भी स्थापित नहीं हो पाये हैं अतः इन अधिकारियों/कर्मचारियों/पेंशनधारकों के मासिक वेतन/पेंशन से दिनांक 31-12-2015 के पूर्व की भाँति एल0एम0वी0-10 के अन-मीटर्ड टैरिफ के लिए निर्धारित दर पर अन्तरिम बीजक धनराशि के रूप में कटौती की जाय। भविष्य में माननीय नियामक आयोग द्वारा विषय पर सम्पूर्ण स्पष्टता के पश्चात् आयोग के आदेश के अनुसार कटौती की गयी धनराशि का समायोजन किया जायेगा। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि चूँकि दिनांक 14-01-2000 के उपरान्त उ0प्र0 पावर सेक्टर के सभी निगमों में नियुक्त कार्मिक यू0पी0 इलेक्ट्रिसिटी रिफार्म्स ट्रांसफर स्कीम से प्रत्यक्षतया आवृत्त नहीं हैं, अतः इनके संयोजनों पर पूर्व में प्रवृत्त अन-मीटर्ड विद्युत प्रदाय की सुविधा न प्रदान करते हुए यथाशीघ्र मीटर लगाने की कार्यवाही की जाय किन्तु Equity के दृष्टिगत इन्हें भी मीटर लगाने के उपरान्त एल0एम0वी0-10 पर पूर्व में लागू मीटर्ड टैरिफ अर्थात एल0एम0वी0-1 के प्रशुल्क पर 50 प्रतिशत की छूट पर अलग से विचार किया जायेगा। यह निर्णय भी माननीय नियामक आयोग के अन्तिम आदेश के प्रतिबन्धाधीन होगा।

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
121(41) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में वित्तीय वर्ष 2014–15 तद्नुरूप कर निर्धारण वर्ष 2015–16 के लिए टैक्स ऑडीटर को नियुक्त करने के सम्बन्ध में।	121(41) निदेशक मण्डल ने मेसर्स MARKS & ASSOCIATES, (पूर्ववर्ती नाम मेसर्स गुप्ता मनोज कुमार एण्ड कं0), चाटर्ड एकाउन्टेन्टस लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के वित्तीय वर्ष 2014–15 तदनुसार कर निर्धारण वर्ष 2015–16 के लेखों का आयकर अधिनियम 1961 की धारा 44 "एबी" के अन्तर्गत टैक्स आडिट करने एवं टैक्स आडिट रिर्पोट देने हेतु फीस रू0 18000.00 (रू0 अटठारह हजार मात्र) प्रतिवर्ष + नियमानुसार अनुमन्य सर्विस टैक्स एवं पुनरीक्षित टैक्स आडिट रिपोर्ट हेतु रू0 6000.00 (रू0 छः हजार मात्र) प्रति पुनरीक्षण + नियमानुसार अनुमन्य सर्विस टैक्स पर नियुक्ति करने का अनुमोदन प्रदान किया।

बैठक मध्यान्ह 12:00 बजे प्रारम्भ होकर अपरान्ह 1:00 बजे समाप्त हुई। अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

दिनाँक: 2/2/2016
लखनऊ।

16

(संजय अग्रवाल)
अध्यक्ष

CHAIRMAN'S INITIAL